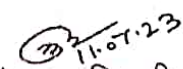


अंचल अधिकारी का कार्यालय, करमाटौंड(विद्यासागर)
संदिग्ध/अपैष जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या-151/2023

क्र.सं.	आदेश फलक	मंतव्य
1	2 --आदेश--	3
07/2023	अभिलेख स्थापित। यह संदिग्ध/अपैष जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-151/2023 राजस्व उपनिरीक्षक हल्का-04-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक, करमाटौंड (विद्यासागर) के जांच प्रतिवेदन के आलोक में संपादित किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0-04 ने प्रभारी अंचल निरीक्षक, करमाटौंड (विद्यासागर) के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि अंचल करमाटौंड(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा-सुगापहाड़ी, थाना सं0-42, खाता सं0-31/8 भूमि जमाबंदीधारी हलधर दास पिता-नन्दू दास ग्राम-सुगापहाड़ी पो0-करमाटौंड थाना-करमाटौंड, जिला-जामताड़ा के नाम से जमाबंदी सं0-31/8 में जमाबंदी कायम है तथा लगान वर्ष-1985-86 से 2008-09 तक जमा दर्ज है। प्राधिकार कोलम में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नहीं होने से तथा भूमि का किसी पुरातन पतित होने से उक्त जमाबंदी संदिग्ध मानते हुए जमाबंदी रद्दीकरण की कारवाई की अनुशंसा के साथ प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदीधारी/उनके जीवित वारिशान को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। वादी की ओर से उनके पौत्र श्री कमल किशोर दास पिता-गणपति दास ने उपस्थित होकर अपने दावा के समर्थन में बंदोबस्ती वाद सं0-149/1958-59 (अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा) तथा कई लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किया है। बंदोबस्ती वाद सं0-149/1958-59 के कागजातों की सत्यापित प्रति भी समर्पित किया है। समर्पित कागजातों का अवलोकन किया, तदोपरान्त दखल कब्जा संबंधी प्रतिवेदन की नॉग राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0-IV/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन, करमाटौंड (विद्यासागर) से की गई। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन, करमाटौंड(विद्यासागर) ने संयुक्त प्रतिवेदन तथा नक्शा समर्पित किया है। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं अंचल अमीन के साथ मौजा-सुगापहाड़ी न0.-42 अन्तर्गत अनावादी खाता सं0-31/8 दाग सं0-495 रकवा-4.42 एकड़ दाग सं0-320 रकवा-1.21 एकड़ एवं दाग सं0-520 रकवा-0.81 एकड़ कुल रकवा-6.44 एकड़ सभी किस्म-पुरातन पतित भूमि का जांच एवं मापी किया गया। जांचोपरान्त पाया कि उक्त खाते की भूमि पर 1.अनिल दास 2.कीर्तन दास दोनों पिता-स्व0 देवेंद्र दास 3.सुनील दास 4.असफी दास 5.संतोष दास 6.सुभाष दास चारों पिता-स्व0 कार्तिक दास 7.दिनेश दास पिता-स्व0 विन्देश्वरी दास 8.कमल किशोर दास 9.चन्द्र किशोर दास दोनों पिता-स्व0 गणपति दास 10.रामलाल दास 11.परिमल दास 12.श्यामलाल दास 13.संजीत दास चारों पिता-स्व0 नितार्थचन्द्र दास सभी साकीन सुगापहाड़ी के द्वारा मकान, बाड़ी एवं खंडित कर खेत बना कर खेती के रूप में दखल-कब्जा है। बंदोबस्ती कागजात, संलग्न लगान रसीद तथा मापी-सह-दखल संबंधी जांच प्रतिवेदन के आलोक में उपरोक्त वर्णित जमाबंदी सं0-31/8 को नियमित करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कारवाई हेतु भूमि सुधार उप सगाहर्ता, जामताड़ा को भेजें।	


 अंचल अधिकारी,
 करमाटौंड(विद्यासागर),
 जामताड़ा।